न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/2023	19.1.2023	04/3/2025

श्यामसुन्दर पुत्र मदनमोहन, स्वर्णकार, बूरा बताशा गली, गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. हरकेश पुत्र धर्मसिंह, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
2. रामकेश पुत्र धर्मसिंह, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी
3. दरबो पत्नी स्व0 धर्मसिंह, गुर्जर निवासी हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री दिनेश चन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हिंगोट्या तहसील गंगापुर सिटी में आराजी ख0नं0 150 रकबा 1.75 है0 स्थित रहा है जिसका इन्द्राज खातेदारी ज्ञानसिंह, धर्मसिंह, हरीसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में रहा है। धर्मसिंह का इन्तकाल हो चुका है, उसके वारिसान अप्रार्थीगण हैं। उक्त आराजी में से खातेदारान ने प्रार्थी को दिनांक 1.11.2012 को ख0नं0 150 रकबा 1.75 है0 में से रकबा 0.16 है0 भूमि का बेचान कर आराजी पर कब्जा संभला दिया। कानूनन प्रार्थी उक्त भूमि का काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट हो चुका है। उक्त भूमि का विभाजन अप्रार्थीगण ने कर लिया और भूमि ख0नं0 1238/150 रकबा 0.5834 है0 हरीसिंह के नाम रहा, ख0नं0 1239/150 रकबा 0.5833 है0 ज्ञानसिंह के नाम रहा, ख0नं0 1240/150 रकबा 0.2933 है0 दरबो व रामकेश के नाम व ख0 नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 दरबो व हरकेश के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमि ख0नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 में से रकबा 0.16 है0 भूमि जानिब दिशा पूरब का प्रार्थी काबिज काश्तकार टीनेन्ट है। वयनामा दिनांक 1.11.2012 में भी संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से जानिब दिशा पूरब दर्शित है। इस प्रकार भूमि ख0नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 ग्राम हिंगोट्या में से रकबा 0.16 है0 जानिब दिशा पूरब का किया जाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने कई ही बार अप्रार्थीगण को अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करने हेतु कहा परन्तु टालमटोल करते रहे। दिनांक 7.1.2023 को प्रार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज न करने के कारण को यह दावा व टी0आई0 प्रा0पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। भूमि ख0नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 में से रकबा 0.16 है0 ग्राम हिंगोट्या से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है, यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 वाके ग्राम हिंगोट्या में से रकबा 0.16 है0 जानिब दिशा पूरब प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मानेमदालखत ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थी को उक्त भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें, उक्त भूमि को गलत इन्द्राज की आड में रहन, बय, दान इत्यादि नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए, अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित किया है कि प्रार्थी जबाबदार के पास कभी भी नाम इन्द्राज कराने के लिए कहने नहीं आया इसलिए जबाबदार द्वारा टालनटोल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 7.1.2023 को जब कोई बात ही नहीं हुई तो जबाबदार के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा टी0आई0 दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जबाबदार ही उक्त भूमि को काश्त कर रहा है एवं जबाबदार का ही भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी कभी भी उक्त भूमि का खातेदार नहीं रहा है न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 460, 461, 459, 458, 393 ग्राम हिंगोट्या, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 1152 दिनांक 20.4.2022, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2012 प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थी न0 1 ने अपने जबाब के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी ग[illegible]

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक [illegible] निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि [illegible] 150 रकबा 1.75 है0 ग्राम हिंगोट्या में से 0.16 है0 भूमि पूरब दिशा की [illegible]ओर की भूमि के खातेदार हरीसिंह, धर्मसिंह पुत्रगण स्व0 रतनलाल गुर्जर व ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 नत्थू

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)

गुर्जर से क्रय की है। वर्तमान में पक्षकारान ने उनकी खातेदारी का विभाजन कर लिया है एवं भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज हो गई है। प्रार्थी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जिस भूमि को क्रय किया है वह भूमि ख0नं0 1241/150 रकबा 0.2900 है0 में 0.16 है0 है तथा इसकी वर्तमान में खातेदारी दरबो पत्नी स्व0 धर्मसिंह हिस्सा 1/3 व हरकेश पुत्र धर्मसिंह हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी को उसकी खरीदशुदा भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है एवं प्रार्थी का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकॉपी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.11.2012 के अनुसार प्रार्थी ने ख0नं0 150 रकबा 1.75 है0 ग्राम हिंगोट्या में से 0.16 है0 भूमि खरीद की है। इस विक्रयपत्र के अनुसार यह भूमि पूरब दिशा की ओर की है। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 393 के अनुसार उस समय भूमि के खातेदार हरीसिंह, धर्मसिंह पि0 रतनलाल हि0 2/3 ज्ञानसिंह पुत्र नत्थू हि0 1/3 थे। प्रार्थी ने इन तीनों खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से भूमि खरीद की है। इन तीनों खातेदारों ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का आपस में विभाजन कर लिया है एवं वर्तमान में तीनों के नाम अलग अलग खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी उसके द्वारा खरीदी गई भूमि को ख0नं0 1241/150 में शामिल होना बताकर इसके खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश चाहता है परन्तु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1241/150 में ही सम्मलित है एवं उसका भूमि पर कब्जा काश्त है, यह प्रार्थी प्रमाणित नहीं कर पाया है। इसलिए वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदारों अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:10:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है

पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज०)